14-8-24 आज पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित।
बहस प्रार्थनापत्र सुनी गई। प्रार्थनापत्र [illegible] ता
फैसला मूल वाद तक स्वीकार किया जाता है।
निर्णय पृथक से लिखा गया जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। ~~फैसला~~ पत्रावली फैसला शुमार होकर
मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री राधेश्याम मीणा (आर0ए0एस0)

उनवान

जगनबाई बनाम रामकिशन

1. जगन बाई उम्र 70 वर्ष पत्नी स्व0 दुर्गा जाति कोली निवासी मौहल्ला हौद बाडी, तहसील बाडी जिला धौलपुर राज0
1. नर्वदा उम्र 35 वर्ष पत्नी चन्द्रपाल पुत्री स्व0 दुर्गा जाति कोली निवासी मौहल्ला हौद बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर राज0

सायलान :–

बनाम

1. रामकिशन उम्र 55 साल पुत्र स्व0 दुर्गा जाति कोली निवासी मौहल्ला हौद बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर राज0
2. दिनेश कुमार अजर पुत्र रमेश चन्द अजर जाति जाटव निवासी मौ0 छपैटीपाडा बाडी

गैरसायलान :–

उपस्थित सायलान के वकील – श्री शौकत अली एड0
गैरसायलान के वकील – श्री जानकीप्रसाद शर्मा एड0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0

प्रा0पत्र सं. 84/2022 दिनांक :– 14-08-2024.

निर्णय

सायलान द्वारा उक्त उनवान का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि :–

विवादित आराजी खसरा नं0 4484 रकवा 0.4047 है0, 4486 रकवा 0.2023 है0, 4487 रकवा 0.1518 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.7588 हैक्टे० बांके कस्बा बाडी न. 02 तहसील बाडी में स्थित है। विवादित आराजी सायलान एवं गैरसायल एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की पुस्तैनी आराजी है। जिसमे सायलान 1/3 हिस्से के, गैरसायल 1/6 हिस्से का एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 1/2 हिस्से के संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार है व इसी हैसियत से मौके पर संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है व आज भी काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से मुताबिक हिस्सा काश्त कर रहे है। तरतीवी प्रतिवादी संख्या 02 के पति एवं 03 लगायत 04 के पिता ओमप्रकाश का निधन अर्सा करीब 3 वर्ष पूर्व हो चुका है परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी तक ओमप्रकाश पुत्र शीतल का नाम अंकित है। ओमप्रकाश के वैध वारिसों में तरतीवी प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 मौजूद है और मृत्तक ओमप्रकाश के हिस्सा 1/2 पर वहैसियत खातेदार के रूप मे विवादित आराजी पर काबिज है। राजस्व रिकार्ड में अभी तक ओमप्रकाश के स्थान पर तरतीवी प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 के नाम दाखिला खारिज नही हो पाया है।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

विवादित आराजी का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है व संयुक्त रूप से सायलान एवं गैरसायल, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 काबिज होकर काश्त कर रहे है व सायलान अपने हिस्से के मुताबिक फसल प्राप्त कर रहे है। सायलान अषाढ माह की शुरूआती दिनों में अपने संयुक्त हिस्से की आराजी को बुवाने व देखने गये तो गैरसायल दारू पीकर व कुछ भू माफियाओ को लेकर विवादित आराजी पर आया और सायलान से बोला कि यहां से भाग जाओ मैं खेतो को बिना बंटवारा कराये ही बेच रहा हूँ मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है। आगे मैं तुम्हे काश्त करने नहीं दूंगा और आराजी से बेदखल करूंगा और बिना बंटवारा कराये ही अच्छी अच्छी आराजी को लटठ व चलाव वाले भू माफियाओ को विक्रय करूंगा एवं तुम लोगो को फसल लाभ नही लेने दूंगा एवं सम्पूर्ण आराजी को मैं ही जोतूंगा व बोउंगा, तो इस पर सायलान ने विवादित आराजी का बंटवारा करने व खाता अलग कराने की कहा तो गैरसायल ने बंटवारा कराने से भी साफ इंकार कर दिया और कह दिया कि 2–4 दिन में खेतो को बेच दूंगा। गैरसायल रामकिशन बुरी संगत मे पड गया है एवं ऐन केन प्रकार से आराजी को बेचने पर आमादा हो रहा है। सायलान पुनः दिनांक 05.08.2022 को अपने संयुक्त कब्जे की आराजी पर फसल बुवाने गये तो गैरसायल ने काश्त करने से रोका एवं गैरसायल ने धमकी दीं कि विवादित आराजी पर काश्त भी नहीं करने देंगे व बंटवारा भी नही करायेगें व सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करने की धमकी दी व बिना बंटवारा कराये ही आराजीयात मे से अच्छी अच्छी आराजी को किसी लटठ व चलाव वाले व्यक्ति को बेच दूंगा। गैरसायल ने अपनी धमकी के अनुसार सायलान के संयुक्त खातेदारी की आराजी का विधिवत् बंटवारा नहीं किया व सायलान का संयुक्त रूप से काश्त नही करने दी एवं सायलान को उनके संयुक्त काश्त की आराजी से बेदखल कर दिया अथवा आराजी को बिना बंटवारा कराये ही किसी लट्ठ व ताकत वाले व्यक्ति को विक्रय कर दी, तो सायलान अपने संयुक्त खातेदारी की आराजी की फसल से वंचित हो जावेगें। जिससे सायलान को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जे खर्चे से सम्भव नही हो सकेगी एवं भू माफियाओ को आराजी बेचने पर किसी भी प्रकार सायलान अपने हिस्से की आराजी को जोत बो नही पाऐंगे। ऐसी परिस्थितियों में सायलान के लिये यह आवश्यक हो गया है कि सायलान वादग्रस्त आराजी मे प्राप्त अपने अपने हिस्से का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड जरिये अदालत कराये तथा गैरसायल का जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से हमेशा हमेश को पाबंद कराये कि वह सायलान को काश्त करने से नही रोकें न ही सायलान की आराजी पर किसी प्रकार कब्जा करे। एतदर्थ सायलान दावेदार भी है एवं जरिये अदालत तरतीवी प्रतिवादी सख्या 02 लगायत 04 को मृतक खातेदार ओमप्रकाश के स्थान पर 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर आवश्यक संशोधन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। उपरोक्त कारणों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपरिमित क्षति बखूबी सायलान के पक्ष में साबित है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र में सायलान ने निवेदन किया कि :–

प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूल प्रकरण गैरसायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 4484 रकबा 0.4047 है0, 4486 रकबा 0.2023 है0, 4487 रकबा 0.1518 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.7588 है0 में सायलान को उनके हिस्से 1/3 को संयुक्त रूप से जोतने बोने से न रोके, ना ही विवादित आराजीयात से सायलान को उनके हिस्से के आराजी से बेदखल करे,

उपखण्ड अधिकारी

ना ही अन्य किसी भी प्रकार से गैरसायल सायलान के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत पेजा करे, ना ही आराजी विवादित को कही रहन बय मुन्तकिल करे, ना ही ऐसा कृत्य गैरसायल स्वंय करे, ना ही अन्य किसी से करायें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया। गैर सायल सं0 2 उपस्थित न्यायालय आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विशेष आपत्ति में अंकित किया कि :–

उत्तरदाता गैरसायल संयुक्त रुप से खातेदार काश्तकार व कब्जाधारी और वह सद्भावी केता जरिए विक्रय पत्र नविस्ता गैरसायल नम्बर 1 मौसूमा गैरसायल नम्बर 6 तादादी 4,50,000/– रुपया के जरिए संयुक्त कब्जे में है, गैरसायल नम्बर 1 के स्थान पर है व संयुक्त खातेदार के खिलाफ टी0आई0 लायक खारिजी के है। सभी पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाने से आवेदन 212 लायक खारिजी के है। अतः आवेदन धारा 212 आर0टी0ए0 खारिज किया जावे।

तत्पश्चात बहस फरीकेन योग्य वकीलों की सामाअत की गई। सायलान के वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए 'अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान जारी करने का निवेदन किया। सायलान ने अपनी बहस के समर्थन में कानूनी नजीर 2023(4) DNJ (Raj.) 1711 पेश की। गैर सायलान के वकील ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए प्रार्थना पत्र सायलान खारिज करने का निवेदन किया। गैर सायलान ने अपनी बहस के समर्थन में कानूनी नजीर 2015(1) RRT 726 पेश की।

हमने योग्य वकीलों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के लिए निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना आवश्यक है –

1. प्रथम दृष्टया मामला :–

सायलान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि विवादित आराजी में सायलान मुताबिक जमाबन्दी खातेदार काश्तकार दर्ज है। विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है जिसे गैरसायल सं0 1 द्वारा संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी को बिना बंटवारा कराये विक्रय करने पर आमादा है। जबकि गैरसायल सं0 2 द्वारा जबाव प्रार्थना प्रस्तुत कर अंकित किया है कि गैर सायल द्वारा उक्त आराजी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा कय किया है तथा वह बंटवारा कराने पर सहमत है। इस प्रकार मेरी राय में जब तक प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा द्वारा कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारों के हकूकों तथा उनकी आराजी की सुरक्षा होना जरूरी है। वकील सायलान द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर उक्त प्रकरण पर पूरी तरह से चस्पा होती है तथा गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत कानून नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में सायलान प्रश्नगत आराजी में खातेदार की हैसियत से अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु अपनी खातेदारी की आराजी पर गैर सायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में में प्रतीत होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन :–

बिन्दु संख्या 1 में प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में निर्णीत किया जा चुका है। सायलान प्रश्नगत आराजी में खातेदार होने की हैसियत से उनका प्रश्नगत आराजी

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

पर हक है। ऐसी स्थिति में अगर गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया जाता है तो सायलान को बहुत असुविधा होगी तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से गैरसायल को कोई असुविधा नहीं होना प्रतीत होता है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में ही प्रतीत होती है।

3. अपरिमित क्षति :–

बिन्दु सं0 1 प्रथम दृष्टया मामला एवं बिन्दु संख्या 2 सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में निर्णीत किये जा चुके है। इसके अलावा अगर गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया जाता है तो सायलान को अपरिमित क्षति होने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि वह विवादित आराजी पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुंताबिक हक रखते है। इसके विपरीत अगर गैर सायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है तो किसी भी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः अपरिमित क्षति सायलान को होना पूरी तरह से साबित होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायलान का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी. एक्ट स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट सायलान स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख0नं0 4484 रकबा 0.4047 है0, 4486 रकबा 0.2023 है0, 4487 रकबा 0.1518 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 0.7588 हैक्टेयर बांके कस्वा बाड़ी नं0 2 तहसील बाड़ी में गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक इस आशय के साथ पावन्द किया जाता है कि वे सायलान को उनके हिस्से की आराजी से बेदखल नहीं करें। ना ही विवादित आराजी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत बेजा करें। ना ही विवादित आराजी को कहीं रहन वय मुन्तकिल करें। पत्रावली बाद तकमीलन मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर)

Scanned with OKEN Scanner